कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा)

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षक अधिकारी,
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

विषय :– **अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–890 / 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।**

प्रसंग :– महालेखाकार बिहार का पत्र सं0 एल0ए0 / एस0एस0–1 श0स्था0नि0 / 14740 / 63 दिनांक–12.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–890 / 2017–18 का वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तक के लेखाओं पर किये गये लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति का बिन्दुवार साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–31.10.2018 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक से अनुमोदित कराकर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

ज्ञापांक–900 / न0प0हि0 / दिनांक–17.11.2018

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा)

पत्रांक–900 / न0प0हि0 / दिनांक–17.11.2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षक अधिकारी,
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

विषय :– **अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–890 / 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।**

प्रसंग :– महालेखाकार बिहार का पत्र सं0 एल0ए0 / एस0एस0–1 श0स्था0नि0 / 14740 / 63
दिनांक–12.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–890 / 2017–18 का वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तक के लेखाओं पर किये गये लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति का बिन्दुवार साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–31.10.2018 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक से अनुमोदित कराकर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17.11.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

17/11/2018

नगर परिषद, हिलसा के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पत्र सं0–14740/63, दिनांक– 12.06.2018 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन :–

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति	अनुपालन	साक्ष्य	अभियुक्ति
1	**कंडिका–01**	अपूर्ण आवासों पर अलाभकारी व्यय– रू0 29.00 लाख।	आपत्ति के संबंध में कहना है कि लाभुकों द्वारा विभागीय निर्देशानुसार आवश्यक कागजात नहीं रहने के कारण द्वितीय किस्त एवं अंतिम किस्त कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया गया था परन्तु लाभुकों द्वारा आवश्यक कागजात जमा करने के पश्चात लाभुकों को आवास निर्माण के लिए द्वितीय एवं अंतिम किस्त भुगतान किया गया है और भुगतान करने की प्रक्रिया की जा रही है।	लाभुकों की द्वितीय एवं अंति किस्त भुगतान की सूची	
2	**कंडिका–02**	अपूर्ण शौचालय पर अलाभकारी व्यय– रू0 105.60 लाख	आपत्ति के संबंध में कहना है कि लाभुकों को प्रथम किस्त के आलोक में कार्यालय द्वारा नोटिश दिया गया है और अभियान चलाकर शौचालय पूर्ण कराया जा रहा है और अंतिम किस्त भुगतान किया जा रहा है।	कार्यालय के द्वारा लाभुकों को नोटिश दिया गया है और शौचालय पूर्ण कराया जा रहा है।	
3	**कंडिका–03**	एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अनियमित क्रय– रू0 19.08 लाख	(i) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–131 के प्रावधानों के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाना है। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि इस बिन्दु पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा। (ii) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पत्रांक–2834, दिनांक–14.12.2013 के अनुसार बिना विधुत सम्बध एवं नियमित विधुत व्यय की व्यवस्था कराये ही एल0ई0डी0 लाईट लगाने की स्वीकृत किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन के आलोक में विधुत विपत्र का भुगतान किया जाता है। (iii) इस बिन्दु पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।	विज्ञापन की प्रति।	

			(iv) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाया गया है कि एक वर्ष बाद भी उसी आपूर्त्तिकर्ता से उसी दर पर एल0ई0डी0 लाईटों का क्रय किया गया जबकि पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि लेखापरीक्षक द्वारा लगाया गया आपत्ति सही नहीं है। कार्यालय के पत्रांक–155, दिनांक–31.03.2018 के द्वारा मे0 लक्ष्मी कस्ट्रक्सन & इलेक्ट्रीकल वर्क्स कार्यादेश दिया गया है और सभी एल0ई0डी0 लाईटों की आपूर्ति एक वर्ष के भीतर ही किया गया है।	कार्यादेश की छायाप्रति	
			(v) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि स्ट्रीट लाईट प्रत्येक वार्ड में कितना लगाया जाना था इससे संबंधित सूची वार्ड पार्षद द्वारा नहीं लिया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि वार्ड पार्षद द्वारा सूची लिया गया है।	वार्ड पार्षद द्वारा दी गई सूची की छायाप्रति	
			(vi) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि बिहार वैट अधिनियम के अनुसार सामग्री क्रय के विपत्र भुगतान के समय संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि आपूर्त्तिकर्ता के विपत्र की कटौती सुरक्षित जमा राशि में से वैट की राशि कार्यालय द्वारा जमा करा दिया गया है।	सुरक्षित जमा राशि में से वैट की राशि संबंधित विभाग को जमा कर दी गई है।	
			(vii) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि क्रय किए गए एल0ई0डी0 लाईटों की विशिष्टताओं की जाँच किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि एल0ई0डी0 लाईटों की विशिष्टताओं की जाँच कनीय अभियंता द्वारा कराने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है।	तकनीकी जाँच की छायाप्रति	
4	**कंडिका–04**	विधुत विपत्रों में विलंब अधिभार का भुगतान– रू0 1.55 लाख	विधुत विभाग द्वारा समय से कार्यालय को विधुत बिल प्राप्त नहीं होता है। बिजली एस0डी0ओ0 को सूचित किया गया है कि प्रत्येक महिना विधुत बिल कार्यालय को उपलब्ध करा दे ताकि विधुत बिल का ससमय भुगतान करने से विधुत अधिभार से बचा जा सके। वर्त्तमान में सरकार के पत्रांक–3611, दिनांक–11.07.2018 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को अधिभार से मुक्त करने का	विभागीय पत्र सं–3611, दिनांक–11.07.2018 की छायाप्रति	

			पत्र प्राप्त हुआ है। भविष्य में अधिभार नहीं लगेगा।		
5	**कंडिका–05**	रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राजस्व राशि का कम जमा– रू0 2.95 लाख।	आपत्ति के संबंध में कहना है कि रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राजस्व राशि को खाता में जमा करा दी गई है।	रसिद की छायाप्रति	
6	**कंडिका–06**	योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 7.47 लाख।	(i) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के अनुसार व्यवहृत खनन सामग्रियों का सत्यापन कार्यालय अभियंता द्वारा नहीं कराया गया हैं। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि सामग्रियों का सत्यापन कराया गया है। (ii) एकरारनामा प्रति में कम से कम तीन गवाह कर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिये परंतु एकरारनामा प्रति में केवल कार्यापालक पदाधिकारी एवं अभिकर्ता का हस्ताक्षर था जो नियमानुसार गलत है। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि एकरारनामा प्रति में सुधार करते हुए तीन गवाहकर्त्ता का हस्ताक्षर करवा लिया गया है। (iii) मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर एवं कार्य अवधि सुधर कर लिया गया है। (iv) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वित्तीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये, परन्तु संचिका जाँच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को लेखा देय चेक के माध्यम से नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि कार्यरत मजदूरों को खाता के अभाव में चेक के माध्यम से नहीं किया गया है। इसे भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। (v) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता	प्राक्कलन की छायाप्रति एकरारनामा की छायाप्रति मास्टर रोल की छायाप्रति	

			प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परंतु संचिका में प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि इस बिन्दु पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। (vi) वित्तीय नियमानुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया चाहिए जिसके ईन्वाईस पर मशिनी क्रमांक एवं वैट/टिन अंकित हो के संबंध में कहना है कि कार्यालय द्वारा मापी पुस्त की राशि के अनुसार वैट, लेवर सेस, रॉयल्टी एवं इनकम टैक्स कटौती कर संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।	कर कटौती की छायाप्रति	
7	**कंडिका–07**	योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 3.65 लाख।	(i) प्राक्कलन में 478 फीट नाला निर्माण का प्रावधान किया गया है और मापी पुस्त में 480 फीट नाला निर्माण की राशि दर्ज है। अतः लेखापरीक्षक द्वारा लगया गया आपत्ति सही नहीं है। (ii) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगााई गयी है कि बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के अनुसारव्यवहृत खनन सामग्रियों का सत्यापन कार्यालय अभियंता द्वारा नहीं कराया गया हैं। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि सामग्रियों का सत्यापन कराया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं। (iii) एकरारनामा प्रति में कम से कम तीन गवाह करता का हस्ताक्षर होना चाहिये परंतु एकरारनामा प्रति में केवल कार्यापालक पदाधिकारी एवं अभिकर्ता का हस्ताक्षर था जो नियमानुसार गलत है। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि एकरारनामा प्रति में सुधार करते हुए तीन गवाहकर्त्ता का हस्ताक्षर करवा लिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं। (iv) मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर एवं कार्य अवधि सुधर कर लिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं।	मापी पुस्त की छायाप्रति प्राक्कलन की छायाप्रति एकरारनामा की छायाप्रति मास्टर रोल की छायाप्रति	

			(v) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वित्तीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये, परन्तु संचिका जाँच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को लेखा देय चेक के माध्यम से नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि कार्यरत मजदूरों को खाता के अभाव में चेक के माध्यम से नहीं किया गया है। इसे भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। (vi) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परंतु संचिका में प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि इस बिन्दु पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। (vii) वित्तीय नियमानुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया चाहिए जिसके ईन्वाईस पर मशिनी क्रमांक एवं वैट/टिन अंकित हो के संबंध में कहना है कि कार्यालय द्वारा मापी पुस्त की राशि के अनुसार वैट, लेवर सेस, रॉयल्टी एवं इनकम टैक्स कटौती कर संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।	कर कटौती की छायाप्रति	
8	**कंडिका–08**	योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 3.98 लाख।	(i) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पत्रांक 462, दिनांक–30.03.82 तथा बिहार लोक कार्य संहिता के प्रावधानानुसार एकरारनामा के प्रत्येक मद में बढ़ोतरी होने पर 10 प्रतिशत तक कार्यपालक अभियंता, 15 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता तथा 25 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि कार्य स्थल पर प्राक्कलित राशि के अन्दर कार्य करवाया गया है। कार्यहित को देखते हुए मुहल्ला वासियों के अनुरोध पर लम्बाई में वृद्धी की गई लेकिन चौड़ाई में कमी कर दी गई है। (ii) लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाई गयी है कि बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के अनुसार	मापी पुस्त की छायाप्रति	

			व्यवहृत खनन सामग्रियों का सत्यापन कार्यालय अभियंता द्वारा नहीं कराया गया हैं। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि सामग्रियों का सत्यापन कराया गया है।	प्राक्कलन की छायाप्रति	
			(iii) एकरारनामा प्रति में कम से कम तीन गवाह करता का हस्ताक्षर होना चाहिये परंतु एकरारनामा प्रति में केवल कार्यापालक पदाधिकारी एवं अभिकर्ता का हस्ताक्षर था जो नियमानुसार गलत है। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि एकरारनामा प्रति में सुधार करते हुए तीन गवाहकर्त्ता का हस्ताक्षर कराया लिया गया है।	एकरारनामा की छायाप्रति	
			(iv) मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि मास्टर रोल में योजना संचालन कर्त्ता का हस्ताक्षर एवं कार्य अवधि सुधार कर लिया गया है।	मास्टर रोल की छायाप्रति	
			(v) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वित्तीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये, परन्तु संचिका जाँच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को लेखा देय चेक के माध्यम से नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि कार्यरत मजदूरों को खाता के अभाव में चेक के माध्यम से नहीं किया गया है। इसे भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।		
			(vi) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परंतु संचिका में प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि इस बिन्दु पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।		
			(vii) वित्तीय नियमानुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया चाहिए जिसके ईन्वाईस पर मशिनी क्रमांक एवं वैट/टिन अंकित हो के संबंध में कहना है कि कार्यालय द्वारा मापी पुस्त की राशि के अनुसार वैट,	कर कटौती की छायाप्रति	

			लेवर सेस, रॉयल्टी एवं इनकम टैक्स कटौती कर संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।		
9	**कंडिका–09**	विभागीय योजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन– रू0 393.46 लाख	विभागीय योजना का कार्यान्वयन बोर्ड के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में किया गया है। भविष्य में विभागीय पत्र के आलोक में कार्य किया जाएगा।	बोर्ड की बैठक की छायाप्रति	
10	**कंडिका–10**	वैट की कटौती नहीं किये जाने के कारण अधिक भुगतान– रू0 3. 42 लाख।	लेखापरीक्षक द्वारा की गई आपत्ति के पश्चात वैट की कटौती कर राशि संबंधित विभाग को जमा कर दी गई है। साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न।	साक्ष्य की छायाप्रति	
11	**कंडिका–11**	मोबाईल टावर के विरूद्ध बकाया नवीकरण शुल्क– रू0 12.03 लाख।	मोबाईल टावर के वकाया राशि के वसूली हेतु कारवाई की जा रही है। विभिन्न कम्पनियों को नोटिश भेजा गया है तथा वसूली की कारवाई की जा रही है।	नोटिश की छायाप्रति	
12	**कंडिका–12**	निधियों का अवरोधन रू0 10.34 लाख।	संबंधित मद में कार्य किये गये संवेदको की सुरक्षित जमा की राशि अवशेष था, जिसे वित्तीय वर्ष 2017–18 में भुगतान कर दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।	भुगतान की छायाप्रति	
13	**कंडिका–13**	गृहकर रसीदों द्वारा संग्रहित राशि का कम जमा– रू0 0.42 लाख	लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति लगाया गया है कि गृहकर रसीदों द्वारा संग्रहित राशि का कम जमा– रू0 0.42 लाख के संबंध में कहना है कि संबंधित कर संग्राहक द्वारा राशि जमा कर दी गई है।	रसिद की छायाप्रति	
14	**कंडिका–14**	वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण राजस्व हानि– रू0 16.45 लाख।	वित्तीय वर्ष 2017–18 में वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण सर्वे कराकर सुधार कर लिया गया है।	आदेश की छायाप्रति	

7.11.18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, हिलसा।